

Bid Form No.....


Date.....

Bid fee Rs. 200/-

**BID FORM - PHOTO COPY ON JOB BASIS**

FOR THE PERIOD W.E.F. 01-07-2015 TO 30-06-2016

1.	Bid No.	F.4 (18) RIPA/Store-P/2015/ dated
2.	Bidding Authority & Address	Director Gen <sup>l</sup> , HCM RIPA, Jaipur
3.	Telephone No.	0141 - 5162502
4.	Telephone-cum-Fax	0141-2705420
5.	Email	hcmripa@rajasthan.gov.in
6.	Web site	www.hcmripa.gov.in
7.	Bid form can be obtained and submitted up to	Date: 19-06-2015 Time: 1-30 PM Place: Room No. 313, Nehru Bhawan, HCM RIPA, Jaipur-302017
8.	Opening of Bid for	Date: 19-06-2015 Time: 3-00 PM Place: Room No. 304, Nehru Bhawan, HCM RIPA, Jaipur-302017

  
**उप निदेशक (प्रशासन) एवं**  
**कार्य निष्पाद्यक्ष**  
**इ.मा. राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान**  
**जयपुर (कोड नं. 102520)**

Signature of Issuing Authority

HCM RAJASTHAN STATE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION  
JAIPUR - 302017

- i Bid for **PHOTO COPY ON JOB BASIS**
- ii Information of the firm/vld.

a	<b>Name of the firm/vld</b>	
a	<b>Tin no of the Firm</b>	
c	<b>Postal address</b>	
d	<b>Telephone Nos.</b>	<b>Residence:</b>
		<b>Office:</b>
		<b>Mobile:</b>
e	<b>Fax Nos.</b>	
f	<b>Email</b>	
g	<b>Name of Contact person</b>	
	<b>Telephone No.</b>	
	<b>Mobile No.</b>	

- iii. Address to (Bidding Authority) Director Genral, HCM RIPA, Jaipur
- iv. NIB reference F.4 (18) RIPA/Store-P/2015-16/ dated
- v. Last date of submitting tender Form date up to **19-06-2015 time 1-30 PM.**
- vi. The Bid fee amounting to Rs. 200/- has been deposited vide cash receipt No .....  
Dated.....í í í
- vii. Bid security Rs 5000/- @ 2% of total estimated cost of service ie 250000/- is deposited vide DD/Banker cheque nos & date-----
- viii. We agree to abide by all the conditions mentioned in the Bid notice mentioned above and issued by the Bidding authority and also the future conditions of the said Bid notice given in the attached sheets (all the page **1 to 07** of which have been signed by us in acceptance of the terms & conditions mentioned therein).
- ix. The successful Bid is required to execute agreement with HCM RIPA on Rs. 500/--  
Stamp Paper
- x. The details of the items/services to be procured along with specifications are given below may please specify rates against each item and also provide sample.
- xi. Enclose copy of Experience Certificate.

राजस्थान सरकार  
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान,  
जयपुर-302017

फोटो – स्टेट मशीन कार्य हेतु विशेष शर्तें

1. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकृत होगी उसे अधिकतम 7 दिवस में लिखित में अनुबन्ध कर फोटो-स्टेट मशीनें स्थापित करनी होंगी।
2. बोलीदाता को रीपा परिसर में नेहरू भवन में जहां पर उसे आदेश दिया जावे वहां पर दो फोटोस्टेट मशीनें मय ऑपरेटर के लगानी होंगी। केन्द्र द्वारा बोलीदाता को फोटोस्टेट मशीन हेतु बिजली एवं स्थान उपलब्ध कराया जावेगा जो कि निशुल्क होगा। फोटो-स्टेट मशीन पर कार्य करने का समय कार्यालय समय प्रातः 9.00 बजे से सांयकाल 6.00 बजे तक होगा। किसी कारण कार्य की अधिकता एवं आवश्यकतानुसार बोलीदाता को कार्यालय समय के अतिरिक्त रूककर कार्य करना होगा एवं आवश्यकता होने पर अवकाश के दिन भी कार्य करना होगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
3. बोलीदाता को स्वयं के खर्च से टोनर, स्याही, एवं कागज सफेद व विभिन्न रंगों में (कम से कम 75 जी. एस. एम. ) अच्छी गुणवत्ता का प्रयोग करना होगा। कागज ए-4/ए-3/एफ एस साईज़ का होगा। बोलीदाता केन्द्र द्वारा चाहेनुसार छोटे व बड़े साईज़ में फोटो कॉपी करेगा। बोलीदाता को टेण्डर के साथ उस कागज का सैम्पल भी देना होगा। साथ पेपर का मेक(75 जी.एस.एम.) भी अंकित करना होगा। फोटोकॉपी को सही तरीके से सेट बनाकर स्टेपल भी करना होगा। इस कार्य हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। मशीन के रख रखाव एवं अन्य सामान की व्यवस्था बोलीदाता को स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी।
4. बोलीदाता को फोटोस्टेट मशीन को हमेशा चालू हालत में रखना होगा। यदि मशीन की मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो बोलीदाता को अपने स्तर पर व खर्च पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
5. मशीन की खराबी अथवा सामान की कमी आदि अन्य कारणों से यदि फोटोस्टेट मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है तो प्रति घण्टे की दर से रुपये 100/- (रुपये सौ मात्र) प्रति मशीन हर्जाने के रूप में देय भुगतान से कटौती की जावेगी। साथ ही बाजार से कराए गए कार्य के लिए यदि संस्थान द्वारा अधिक भुगतान किया जाता है तो उस राशि की भी कटौती बोलीदाता से की जायेगी।
6. फोटोस्टेट मशीन पर फोटो स्टेट प्रति स्पष्ट एवं साफ सुथरी तथा लम्बे समय तक सुरक्षित रखे जाने योग्य होनी चाहिए अन्यथा उन प्रतियों का भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. यदि फोटो स्टेट मशीन की चोरी या किसी अन्य किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी बोलीदाता की स्वयं की होगी। संस्थान की इस के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बोलीदाता चाहे तो फोटोस्टेट मशीन का स्वयं के खर्च पर बीमा भी करवा सकता है।
8. बोलीदाता को संस्थान के अधिकारी उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कूपन पत्रों के आधार पर फोटो कॉपी करनी होगी। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का फोटो कॉपी का कार्य नहीं किया जावेगा।
9. प्रत्येक कर्मांकित कूपन दो प्रतियों में होगा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति बोलीदाता को दी जावेगी एवं एक प्रति बोलीदाता को बिल के साथ संलग्न करनी होगी।
10. बोलीदाता द्वारा अगर समयावधि से पूर्व बीच में कार्य छोड़ा जाता है अथवा उसका कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने पर उसकी रिस्क एण्ड कॉस्ट पर अन्य फर्म से कार्य करवा लिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
11. यदि बोलीदाता कोई ऐसी शर्त अधिरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं तो उसकी बोली संक्षिप्त विचार कर अस्वीकृत हेतु दायी होगी। जब तक क्रय अधिकारी द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से वर्णित न हो ऐसी कोई शर्त स्वीकृत की हुई नहीं समझी जावेगी।
12. फोटो स्टेट कार्य ह.च.मा. रीपा, जयपुर परिसर में स्थित अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा भी करवाया जा सकता है, जिसके लिये संबंधित संस्था प्रथक अनुबंध करेगी तथा भुगतान करेगी।

- 13 सर्विस कर अथवा अन्य कोई कर यदि देय हों तो दरें स्पष्ट करें। अन्यथा ये दरों में सम्मिलित समझे जायेंगे। सर्विस कर रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें एवं प्रत्येक बिल में रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखना अनिवार्य होगा ।
- 14 संस्थान के कार्य के अलावा किसी प्रकार का अन्य निजी /व्यवसायिक कार्य उक्त मशीनों पर नहीं किया जावेगा। यदि इस का उल्लंघन पाया गया तों पैनल्टी स्वरूप उक्त माह के बिल राशि का 5 प्रतिशत वसूल कर लिया जावेगा।
- 15 विभाग द्वारा फोटो स्टेट कार्य हेतु कागज, स्याही एवं अन्य किसी प्रकार की सामग्री नहीं दी जावेगी।

## SPECIFICATION

S. No.	Particulars	Single Side Copy with paper (Cost in Rs.)	Both Side Copy with paper* (Cost in Rs.)
1-	<b>Black on White Paper: -</b>		
	Photostat A-4 Size Copy		
	Photostat F-S Size Copy		
	Photostat A-3 Size Copy		
2-	<b>Black on Colour Paper :-</b>		
	Photostat A-4 Size Copy		
	Photostat F-S Size Copy		
	Photostat A-3 Size Copy		
3-	<b>Color Photostat Copy:-</b>		
	Photostat A-4 Size Copy		
	Photostat F-S Size Copy		
	Photostat A-3 Size Copy		
4-	<b>Rizzo Graph Machine</b>		
	A-4 Size Copy		
	F-S Size Copy		

\* **Note: - Photocopy on both sides of the paper shall be a unit.**

**Signatures with seal**  
(बोलीदाता)

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान ,  
जवाहरलाल नेहरू मार्ग ,जयपुर-302017

संविदा अवधि दिनांक ( 01.07.2015 से 30.06.2016 )

वार्षिक अनुबंध एवं सेवायें प्रदत्त करने के संबंध में  
खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी: बोलीताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोली भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. बोली को बोली सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप में मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. वास्तविक डीलरों /सेवा दाताओं द्वारा बोली:-बोली वास्तविक डीलरों /सेवा दाताओं द्वारा ही दी जाएगी। इस संबंध में घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में टेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।  
(11) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के टेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए टेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्त होगी।
4. बिक्री कर/सेवा कर चुकता प्रमाण पत्र: कोई भी डीलर/सेवा दाता यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर/सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं दे सकेगा। बिक्री कर/सेवा कर पंजीयन संख्या का उल्लेख करें (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) तथा कर चुकता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
5. आयकर चूकती प्रमाण-पत्र:-बोलीदाताओं को संबंधित सर्किल के आयकर अधिकारी से आयकर चूकती प्रमाण पत्र बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा। आयकर शोधन प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने पर भी बोली पर विचार किया जा सकेगा।
6. बोली प्ररूप स्याही/बाल पेन से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पेंसिल से भरी गयी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली के समरूत निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
7. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर/मुख्य संवर्धित कर (VAT) एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक-पृथक से दिखाना चाहिए।
8. विधिमान्यताबोली 1 वर्ष की अवधि ( 01.07.2015 से 30.06.2016 ) के लिए विधिमान्य होंगी। ये दरें पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाई जा सकती हैं।
9. सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े पर नहीं देगा।
10. (i) सुपुर्दगी अवधि:- बोलीदाता, जिसकी बोली स्वीकार की जायेगी, उस सेवा/अनुबन्ध आदेश प्राप्त करने के 30 दिवस के भीतर सेवा/अनुबन्ध कार्य प्रारम्भ करने की व्यवस्था करेगा।  
(ii) मात्रा की सीमा- आदेश को फिर से देना:- यदि बोली सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो बोलीदाता अपेक्षित सेवा/अनुबन्ध करने के लिए बाध्य होगा।  
(iii) यदि सेवा प्राप्तकर्ता किन्हीं बोलीदाता सेवाओं / वस्तुओं को प्राप्त नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में प्राप्त करता है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का व्लेम करने का हकदार नहीं होगा।
11. **Bid security:-** (क) बोली के साथ 5000/- रु. की बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि महानिदेशक,, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के पक्ष में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट में माध्यम जमा कराई जायेगी:-

(ख) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय: असफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि बोली को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी बोली के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/कार्य संपादन प्रतिभूति को नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

12 बोल प्रतिभूति राशि का समपहण:- बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा।

(i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(vi) जब वह विहित समय के भीतर सेवा/अनुबन्ध आदेश के अनुसार सेवा/अनुबन्ध प्रारम्भ करने में असफल रहाता है।

13.. करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति निक्षेप: -

(i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर संलग्न प्रपत्र में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए बोली स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य संपादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह कार्य संपादन प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य संपादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य संपादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) कार्य संपादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) कार्य संपादन प्रतिभूति राशि नकद अथवा महानिदेशक,,ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराई जायेगी।

(v) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मर्दों के अन्तिम सेवा/अनुबन्ध से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरुद्ध कोई देय बकायें नहीं है, कार्य संपादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(vi) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(2) कार्य संपादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण: कार्य संपादन प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा:

(अ) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ब) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा/अनुबन्ध संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(स) कार्य संपादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत नि:शुल्क दी जाएगी।

14. भुगतान: (i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सेवा/अनुबन्ध के लिए प्रत्येक माह के भुगतान हेतु बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ii) विवादास्पद मर्दों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iii) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

1<sup>प</sup> (i) बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) परिसमापित नुकसानी:- बोली प्रपत्र में अंकितानुसार परिसमापित नुकसानी की दरें प्रभावी होंगी।

1 (क) यदि सेवा/अनुबन्ध किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा/अनुबन्ध को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने कार्य हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ख) यदि सेवा/अनुबन्ध करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

15. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।

16. यदि बोलीदाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

17. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

18. बोलीदाता एक जोकि सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अधीन निर्धारित है को रूपये 500/-के नॉन ज्यूडिशियल पत्र पर निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

19. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को महानिदेशक,, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के समक्ष रखा जायेगा और इस विवाद पर वे दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।

20. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

21. जो भी बोली विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त होगी उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर